

14/06/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उपायमा
लागते हैं किनास 14/05/2024 को प्रस्तुत
वहसे एवं पत्रावली पर इतलीवन,
मनन के आधार पर प्राप्ति-प्र वावत
अस्थायी निषेधाज्ञा (नए) एतदुद्देश्य
खारिज किया जाता है। विस्तृत विवरण
पृष्ठक से देखिए किया जाकर बाबिल
विमल किया गया। तस्वीर जारी है।
पत्रावली फेसूल शुमार फेर बाद
रसमील हाथिल हफ्तर है। अदर
खुले व्याखालय में पुनःप्राप्य/क

उपखण्ड अधिकारी
मॉधर लेक

